

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.01(01)न्याय/2025

जयपुर, दिनांक 05.01.2026

::अधिसूचना::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, राजस्थान राज्य में नवगठित अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़), सांगोद (कोटा), उनियारा (टोंक), छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़), चौहटन (बाड़मेर), बर (ब्यावर), केशोरायपाटन (बूंदी), नदबई (भरतपुर), चाकसू (जयपुर महानगर प्रथम) को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का क्षेत्राधिकार उनकी अपनी अपनी स्थानीय सीमाओं के अनुसार निर्धारित करती है।

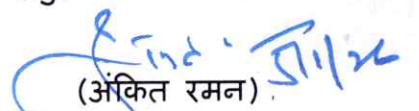
राज्यपाल के आदेश से,


(राघवेन्द्र काछवाल)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, जयपुर/चित्तौड़गढ़/कोटा/टोंक/प्रतापगढ़/बाड़मेर/ब्यावर/बूंदी/भरतपुर/जयपुर महानगर प्रथम।
9. महानिदेशक, आरसी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।


(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव